बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–83/2019 –5267 /पटना, दिनांक–04/10/19

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़कं अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती हैः–

SL. NO	Name of Division	Block	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) In Lakhs	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	Pakridayal	Patahi	Champapur Jai Mangal Rai House To Mirjapur Siwan	1.700	45.75300	17.48200	4.57530	67.81030
2	Pakridayal	Patahi	Gamhariya To Gonahi Road	1.800	49.46300	18.96100	4.94630	73.37030
3	Pakridayal	Patahi	Khutauna Awadhesh Singh House To Bharamsthan	1.400	33.63300	13.80600	3.36330	50.80230
4	Pakridayal	Patahi	Sikarganj Pathahi Pitch Road At Dumri To Mahamadi Siwan	3.200	73.89600	32.09700	7.38960	113.38260
5	Pakridayal	Patahi	Bokane To Mishra Tola Path High Level RCC Pull	2.500	57.06800	25.45400	5.70680	88.22880
6	Pakridayal	Patahi	Kodariya Pitch Road to Betauna parti tola	2.500	61.76100	25.99200	6.17610	93.92910
7	Pakridayal	Patahi	Bakhari to Bhitgharwa	2.000	57.37400	20.70600	5.73740	83.81740
8	Pakridayal	Patahi	Bara Sankar Bhaya Karmohana Pakki Road To Mahamadi	2.900	64.56600	30.21300	6.45660	101.23560
9	Pakridayal	Patahi	Narkatia To Chainpur Road	2.400	57.63800	24.07000	5.76380	87.47180
10	Pakridayal	Patahi	Narkatiya Sanskrit School To Betauna	0.950	24.06700	9.61700	2.40670	36.09070
11	Pakridayal	Patahi	Betauna Hanuman Mandir To Parti Tola	0.950	24.12700	9.83200	2.41270	36.37170
12	Pakridayal	Patahi	Sikarganj Pitch Road To Balua Primary School	1.100	24.84500	10.76000	2.48450	38.08950
13	Pakridayal	Madhuwan	Garahiya To Mixing Link Road	4.200	116.18900	43.41300	11.61890	171.22090
14	Pakridayal	Madhuwan	Chauhaniya Paswan Tola To Talwa VIA Garahiya Khodatpur	2.950	66.36200	29.52500	6.63620	102.52320
15	Pakridayal	Madhuwan	Madhurapur To Banjariya	4.650	124.60300	48.01800	12.46030	185.08130

3/10/19

16	Pakridayal	Madhuwan	Bajitpur To Seruli	4.100	90.53600	42.15500	9.05360	141.74460
17	Pakridayal	Phenhara	Sukhona To Marpa Kothi	3.200	89.01300	33.19100	8.90130	131.10530
18	Pakridayal	Pakridayal	Dhanauji bharat Das Matth To Sisahni	2.000	53.59000	19.47900	5.35900	78.42800
19	Pakridayal	Pakridayal	Chaita Bazar To Sisahani Siwan	5.400	149.59600	55.73500	14.95960	220.29060
20	Pakridayal	Pakridayal	Dhanauji REO Road To Ram Nagar Bridge	2.400	55.89100	23.70900	5.58910	85.18910
21	Pakridayal	Pakridayal	Ajgarwa Kapil Dev Singh House To Ajgri Mushar Toli	1.000	25.13900	10.34500	2.51390	37.99790
22	Pakridayal	Pakridayal	Barkagauwn To Dhanauji Sivan Via Sisahani	5.750	142.97100	58.66200	14.29710	215.93010
	Total			**59.050**	**1488.08100**	**603.22200**	**148.80810**	**2240.11110**

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्राकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBDआधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–64/2019** में दिनांक **05.09.2019** को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 13.9.19, को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–83/2019** में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRIकैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

3/10/19

11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अचिनयमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4(मु0)–3054 04–83/2019 के पृ0– 22/टि0 पर दिनांक– 1.10.19. को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
3/10/19
(संजय दूबे)
अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–83/2019 -5267 /पटना, दिनांक–04/10/19
प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, **पूर्वी चम्पारण** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/10/19
अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–83/2019 -5267 /पटना, दिनांक–04/10/19
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, **तिरहुत**/जिला पदाधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**/उप विकास आयुक्त, **पूर्वी चम्पारण** /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–3** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **मोतिहारी**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **पकड़ीदयाल** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/10/19
अपर सचिव